न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (जिला चूरू)
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर.ए.एस.)
वादपत्र संख्या 63/2020
अनुवान सीता बनाम राजस्थान राज्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट
निर्णय दिनांक 23.10.2020

सीता पत्नी बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी मटोरिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान

–वादीया–

बनाम्

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सरदारशहर जिला चूरू

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः

1. एडवोकेट श्री बलवन्तराय छींपा वास्ते वादीगण।
2. तहसीलदार सरदारशहर वास्ते प्रतिवादी।

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीया एवं प्रतिवादी का रजिस्टर्ड पता वही है जो अर्जीदावा के शीर्षक में दर्ज है। वादीया की रोही मौजा साडासर के खसरा नं0 385 कि 8.0600 है0 खातेदारी भूमि के संयुक्त खाते में 1/2 हिस्सा में भूमि दर्ज कागजात है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी साथ पेश है।

वादीया का सही व वास्तविक नाम सीता है लेकिन उक्त भूमि की जमाबन्दी में नाम गलत रूप से सोना देवी पत्नी बृजलाल दर्ज चला आ रहा है। जिससे वादीया के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है तथा ना पूरा होने वाला नुकसान होता है। इसलिए वादीया उक्त भूमि में दर्ज सोनादेवी पत्नी बृजलाल जाति ब्राहमण साकिन ढाणी मटोरिया के स्थान पर सीता पत्नी बृजलाल जाति ब्राहमण

Signature Not Verified
Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 13:19:05 IST
Reason: SelfAttested

निवासी मटोरिया वाली ढाणी दर्ज करवाने की तथा इसी अनुसार घोषणा करवाने की अधिकारी है पस यही बिनाए दावा है। वादीया के समस्त दस्तावेजों में सीता पत्नी बृजलाल नाम दर्ज है जबकि उक्त भूमि में सोना देवी नाम दर्ज है। भूमि में नाम व दस्तावेजों में अलग–अलग होने से आये दिन मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा अनेक सरकारी ऋण योजनाओं का पूरा लाभ उठा नहीं पाती है। अगर उठाने की कोशिश भी करती है तो अनेक कानूनी औपचारिकताओं का सामना करना पड़ता है। जिससे धन व समय नष्ट होता है। इसलिए वादीया उक्त भूमि में दर्ज सोनादेवी पत्नी बृजलाल के स्थान पर सीता पत्नी बृजलाल दर्ज करवाने की हकदार व दावेदार है तथा इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दूरूस्त करवाने की भी अधिकारी है। फोटो प्रति दस्तावेज साथ पेश है। गलत नाम का फायदा कोई अन्य व्यक्ति भी उठा सकता है अगर कोई व्यक्ति अपनी कोशिश में कामयाब होता है तो और भी वाद की बहुलता बढेगी इसलिए वादीया उक्त भूमि में अपना नाम दुरूस्त करवाने की अधिकारी है।

वादीया ने प्रतिवादी को कई बार कहा कि उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा में दर्ज सोना देवी पत्नी बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी मटोरिया तहसील व जिला हनुमानगढ के स्थान पर सीता पत्नी बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी मटोरिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ खातेदार दर्ज कर देंवे। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से आज से एक सप्ताह पूर्व बमुकाम सरदारशहर में कतई इनकार कर दिया। पस यही बिनाए मुखास्मत दावा है।

वादीया ने वाद पेश कर स्वयं की कृषि भूमि रोही मौजा साडासर के खसरा नं0 388 कि 8.0600 है0 खातेदारी भूमि के संयुक्त खाते में 1/2 हिस्सा में दर्ज सोना देवी पत्नी बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी मटोरिया तहसील व जिला हनुमानगढ के स्थान पर सीता पत्नी बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी मटोरिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया है।

वाद पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। राज पैरोकार उपस्थित आये एवं जबाब दावा पेश किया जिसके अनुसार जमाबन्दी में अंकित नाम सोना पत्नी बृजलाल पंजीकृत क्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है अतः वादीया द्वारा तथ्य छुपाकर दावा पेश किया गया है जो काबिले खारिज है, परन्तु राजपैरोकार द्वारा वादीया का नाम सोना से सीता किये जाने के संबंध में कोई ऐतराज जाहिर नहीं किया है।

वादीया द्वारा साक्ष्यवादी में निम्नांकित प्रदर्श प्रस्तुत किये गयें–

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 13:19:05 IST
Reason: SelfAttested

1. जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 खसरा नम्बर 388 की छायाप्रति।
2. वादीया के आधार कार्ड की छायाप्रति।
3. वादीया के भामाशाह कार्ड की छायाप्रति।
4. मतदाता फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति।
5. बैंक पासबुक की छायाप्रति।
6. मूल निवास प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
7. निर्वाचक नामावली की छायाप्रति।

पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात, शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उभय पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया जिससे यह सामने आया कि वादीया द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादीया का नाम सीता पत्नी बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी मटोरिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ अंकित है।

अतः वर्णित विवेचन से वाद पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता हैं अतः वाद वादीया डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि रोही मौजा साडासर के खसरा नं0 388 कि 8.0600 है0 खातेदारी भूमि के संयुक्त खाते में 1/2 हिस्सा में दर्ज सोना देवी पत्नी बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी मटोरिया तहसील व जिला हनुमानगढ अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादीया का सही नाम सीता उर्फ सोना देवी पत्नी बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी मटोरिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं। पर्चा डीक्री जारी हो।

क्र. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	साडासर	388	सोना देवी पत्नी बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी मटोरिया तहसील व जिला हनुमानगढ	सीता उर्फ सोना देवी पत्नी बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी मटोरिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 13:19:05 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 63/2020
अनुवान सीता बनाम राजस्थान राज्य
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट
एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बलवन्तराय छींपा एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादीया डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता हैं कि कृषि भूमि रोही मौजा साडासर के खसरा नं0 388 कि 8.0600 है0 खातेदारी भूमि के संयुक्त खाते में 1/2 हिस्सा में दर्ज सोना देवी पत्नी बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी मटोरिया तहसील व जिला हनुमानगढ अशुद्ध दर्ज है जिसे शुद्ध कर वादीया का सही नाम सीता उर्फ सोना देवी पत्नी बृजलाल जाति ब्राहमण निवासी मटोरिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार सरदारशहर को दिये जाते हैं।

....

.....बीज.......................................मुबलि ....बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 10 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत...................

मुहर

ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	05	00	मिजान	00	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 13:19:05 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Reena
Date: 2020.11.03 13:19:05 IST
Reason: SelfAttested